राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

क्रमांकः– स्टोर/केन्टीन/2024–25/53 दिनांकः–05/6/2024

अल्पकालीन निविदा संख्या – 01/2024–25

मण्डल मुख्यालय आवास भवन जनपथ ज्योति नगर, जयपुर कार्यालय में निम्न कार्य के लिए मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 19.06.2024 से 20.06.2024 तक बेची जाकर दिनांक 21.06.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन सायं 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रूपये)	निविदा शुल्क	धरोहर राशि(रू.)	UBN
1.	मण्डल भवन परिसर में केन्टीन संचालन का कार्य	1.00 लाख	1,000/– + GST @ 18%	50,000/–	

शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्रों के साथ धरोहर राशि के रूप में "राजस्थान आवासन मण्डल" के नाम देय डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न करना आवश्यक है।
2. बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदाएं स्वीकार्य नहीं होगी।
3. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
4. केन्टीन संचालन की समयावधि एक वर्ष के लिए रहेगी।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।
6. निविदा प्रपत्र (Tender Document) प्राप्ति हेतु (दिनांक 19.06.2024 से 20.06.2024) तक लेखाधिकारी (स्टोर) मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, जयपुर से सम्पर्क करें।
7. निविदा संबंधित विवरण एवं शर्ते **SPPP.rajasthan.gov.in** वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

RAJASTHAN HOUSING BOARD : JAIPUR
(For Office use only)

SHORT TERM NIT No. 01 /2024-25

1. NAME OF WORK	:	मण्डल भवन परिसर में केन्टीन संचालन का कार्य
2. NAME OF PARTY	:	....
3. DATE OF TENDER SALE	:	19.06.2024 to 20.06.2024
4. DATE OF RECEIPT TENDER	:	21.06.2024 at 12.00 NOON
5. DATE OF OPENING	:	21.06.2024 at 03.00 PM
6. ESTIMATED COST	:	1.00 Lakh
7. EARNEST MONEY	:	50,000/-
8. COST OF TENDER	:	Rs. 1000/- + GST
9. PLACE OF RECEIPT OF TENDER	:	Office Of AO (Store) Rajasthan Housing Board Head Office, Janpath , Jaipur
10. PLACE OF OPENING OF TENDER	:	Rajasthan Housing Board Head Office, Janpath, Jaipur

सचिव

SECRETARY
RAJASTHAN HOUSING BOARD
JAIPUR

राजस्थान आवास मण्डल, जयपुर

आवास मण्डल (मुख्यालय) केन्टीन संचालन हेतु अन्य शर्ते

अल्पकालीन निविदा संख्या 01/2024–25

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान द्वारा जारी फूड लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. **GST Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

3. **सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों, पी.एस.यू. संस्थान जो राजस्थान में स्थित हो में केन्टीन संचालन का एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है।**

4. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अन्तर्गत सभी प्रकार के लाईसेंस लेने व उक्त अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रावधानों की पालना का दायित्व ठेकेदार का हेगा।

5. पूरे समय केन्टीन में क्षेत्र को साफ–सुथरा व स्वच्छ एवं स्वास्थ्यजनक रखने का दायित्व ठेकेदार का होगा। अल्पाहार गृह में काम आने वाले समस्त सामान जैसे – चाय, कॉफी, शक्कर, शुद्ध खाद्य तेल एवं ईंधन आदि का व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जायेगी। केन्टीन में रखी जाने वाली सामग्री श्रेष्ठ क्वालिटी की होगी। सामग्री का निरीक्षण तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि क्वालिटी में कोई कमी पाई गई तो केन्टीन में उपलब्ध सामग्री को नष्ट करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है एवं विवेकाधिकार से शास्ति आरोपित की जा सकती है।

6. ठेकेदार को हमेशा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ताजा सामान रखना होगा तथा उपलब्ध सामान को ढक कर रखना होगा। यदि बासी सामान पाया गया तो उस सामान को विभाग द्वारा नष्ट कर दिया जावेगा, जिसके लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी। ठेकेदार को पर्याप्त मात्रा में साफ व सुन्दर कॉकरी रखनी होगीं।

7. ठेकेदार को कार्य दिवासों में अल्पाहार गृह प्रातः 9.00 से सायं 7.00 बजे तक चालू रखना होगा एवं विशेष परिस्थितियों में अगर सहायक लेखाधिकारी (स्टोर) निर्देशित करेगें तों अवकाश के दिन भी अल्पाहार गृह खोलना होगा। किसी भी कार्य दिवस पर केन्टीन संचालित नहीं किये जाने पर सहायक लेखाधिकारी (स्टोर) को विवेकाधिकार पर शास्ति आरोपित करने का अधिकार होगा।

8. ठेकेदार को जयपुर डेयरी (जयपुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ जयपुर) के सम्पूर्ण डेयरी उत्पाद केन्टीन में रखने होगें। अल्पाहार गृह का किराया दो माह का अग्रिम जमा कराना होगा तथा तत्पश्चात् प्रतिमाह अग्रिम में देना होगा। किराये की दर स्वयं ठेकेदार को देनी होगी एवं अधिक किराया देने वाले निविदादाता को वरीयता दी जायेगी। जल/बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा

9. ठेकेदार को राशि रू. 50,000/– प्रतिभूति के तौर पर निविदा प्रपत्रों के साथ डी.डी./पे–ऑर्डर के रूप में संलग्न कर इस कार्यालय में जमा करानी होगी। यह राशि ठेके की अवधि समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जावेगी। यदि ठेके की शर्तो का उल्लंघन किया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड की राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से वसूल की जावेगी।

क्रमशः......2

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

10. सेवाऐं असंतोषजनक पाये जाने पर विभाग ठेकेदार को लिखित रूप से एक माह का नोटिस देने के पश्चात् ठेका समाप्त कर सकेगा। प्रथमतः अनुबंध की अवधि एक वर्ष तक रहेगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में विभाग द्वारा पूर्व शर्तो पर अवधि तीन माह और बढायी जा सकती है।

11. ठेकेदार को विभाग द्वारा संलग्न निर्धारित दरों पर सामग्री सप्लाई करनी होगी जिस वस्तु की दर नहीं दी गई हो तो उसके संबंध में ठेकेदार व तीन सदस्यीय कमेटी व सहायक लेखाधिकारी (स्टोर) दोनों आपस में वार्तालाप करके दरें निर्धारित कर सकते है जो मान्य होगी।

12. विभाग के विद्युत उपकरण में कोई टूट फूट होगी तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उससे हानि की वसूली की जायेगी।

13. अनुमोदित दरें ठेकेदार द्वारा एक बोर्ड पर लिखकर अल्पहार में लगानी होगी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुमोदित दरों से अधिक चार्ज करने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल ठेका निरस्त किया जा सकता है।

14. अगर ठेकेदार द्वारा कोई सामान उधार में दिया जाता है तो उधार की वसूली का दायित्व ठेकेदार का होगा। उधार की राशि वसूली की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

15. ठेकेदार को विभाग के प्रत्येक कमरे में पेय पदार्थ/अल्पहार सामग्री की सप्लाई करने की व्यवस्था करनी होगी।

16. ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मचारी रखने होगें तथा कोई बालश्रमिक नहीं रखा जावेगा। श्रम अधिनियम तथा सुसंगत अन्य अधिनियमों की पालना का दायित्त्व ठेकेदार का होगा।

17. ठेका स्वीकृत होने के दिन से एक सप्ताह के भीतर/निर्धारित दिनांक को अल्पहार गृह चालू करना होगा तथा अल्पहार गृह स्वच्छ एवं कर्मचारी स्वच्छ वर्दी में रखने होगें।

18. ठेकेदार अल्पाहार गृह को अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा तथा अवधि से पूर्व छोड़ने की स्थिति में अमानत राशि जब्त करली जावेगी।

19. ठेकेदार को शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी जिसका निरीक्षण सप्ताह में एक बार तीन सदस्यीय कमेटी या सहायक लेखाधिकारी (स्टोर) को करवाना होगा।

20. ठेके की व्यवस्था के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और वह ठेकेदार को मान्य होगा तथा सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा दिये गये आदेशों की पालना बिना किसी विवाद के ठेकेदार को करनी होगी।

21. ठेके की व्यवस्था के लिए नियमानुसार 1000/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 7 दिवस में अनुबन्ध पत्र ठेकेदार द्वारा अपने हस्ताक्षर कर विभाग में प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्ध पत्र देय शुल्क ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

क्रमशः.....3

22. निविदा भरने से पूर्व उपलब्ध स्थान का भलीभांति निरीक्षण कर लेवे बाद में कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

23. केन्टीन व रसोई घर में सफाई व्यवस्था को दुरस्त करने की आवश्कता है। इस हेतु केन्टीन प्रदाता हर सप्ताह के अन्त में (प्रत्येक रविवार को) केन्टीन व रसोई घर की सफाई मण्डल के केयर टेकर के अधीन कार्यरत सफाई कर्मियों से सफाई करवायेगा। इस बाबत् केन्टीन प्रदाता के द्वारा सफाई हेतु आवश्क सामान व सफाई दिवस को राशि रूपये 1000/– सफाई कर्मियों को देगा।

24. केन्टीन प्रदाता द्वारा केन्टीन में काम करने वाले कार्मिको को (निश्चित रंग की) एक जोड़ा पोशाक (शर्ट–पेन्ट) उपलब्ध करायेगा।

25. केन्टीन प्रदाता केन्टीन में उपलब्ध करवाई जाने वाली खाद्य सामग्री निर्धारित काँच के शॉ–केस में ढक्कर रखेगा। इसकी पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

26. केन्टीन प्रदाता वर्तमान या पूर्व में किसी विभाग में केन्टीन संचालन कर रहा है तो सम्बन्धित विभाग से अदेय प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करें।

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

मैने/हमने उपर्युक्त शर्तो को भलीभांति पढ़ एवं समझ लिया है निविदा में वर्णित शर्ते संख्या 1 से 27 तक मुझे स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम –
एवं पूर्ण पता –
मय टेलिफोन नं./मो.

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आवास मण्डल (मुख्यालय) केन्टीन किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र
अल्पकालीन निविदा संख्या 01/2024–25

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, पता एवं टेलिफोन एवं मोबाईल नं. ....

2. किसको सम्बोधित किया जावे – सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. निविदा सूचना संदर्भ .... दिनांक ....
4. मै/हम/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना निविदा की सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है इनके सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैनें/हमारे हस्ताक्षर कर दिये है।
5. केन्टीन का न्यूनतम किराया राशि 7000/– + GST रहेगा।
6. केन्टीन किराये की दर निम्न प्रकार है :– निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर **(Rate Quoted by Bidder)**

क.सं.	विवरण	दर प्रति माह (निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर) **(Rate Quoted by Bidder)**
1.	केन्टीन का मासिक किराया	

स्पेशिफिकेशन

8. केन्टीन में निम्नलिखित पेय पदार्थ तथा खाद्य सामग्री निम्नांकित दरों पर आपूर्त्ति करनी होगी :–

क.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रूपये) प्रति नग	विशेष विवरण
1	चाय	100ML	7.00	
2	कॉफी	100ML	9.00	
3	समोसा, कोफ्ता, मिर्ची बडा	50 ग्राम	7.00	
4	कचोरी (दाल)	50 ग्राम	7.00	
5	ब्रेड पकोडा	100 ग्राम	10.00	
6	पकोडी (बेसन) (आलू, प्याज व मिर्च)	100 ग्राम	12.00	
7	पकोडी (दाल)	100 ग्राम	14.00	
8	पकोडा (पनीर)	100 ग्राम	22.00	
9	नमकीन सादा एवं मिक्स/ नमक पारे/शक्कर पारे	100 ग्राम	14.00	
10	गुलाब जामुन/मिश्री मावा	प्रति किलो	280.00	
11	8 पुड़ी 1 सब्जी की थाली	250 ग्राम पुड़ी 250 ग्राम सब्जी	40.00	
12	बिस्कुट नमकीन एवं मिठे (सभी तरह के)	50/100 ग्राम पैकेट	कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर	
13	<u>सरस उत्पाद :–</u> दूध, दही, लस्सी, छाछ, श्रीखण्ड आदि	सरस डेयरी द्वारा निर्धारित पैक में	सरस डेयरी द्वारा निर्धारित दर पर	
14	मिनरल वाटर	1/2 लीटर	कम्पनी द्वारा निर्धारितदर पर	ISI मार्का
15	शीतल पेय	कम्पनी द्वारा निर्धारित पैक में	स्टैण्डर्ड द्वारा निर्धारित दर पर	ISI मार्का

8. मै/हम उक्त दरों पर अथवा इनसे कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने पर सहमत हूँ/है जिस खाद्य/पेय सामग्री की दर निर्धारित नहीं है उसे बिक्री से पूर्व विभाग से दर अनुमोदन करवालूंगा/लेगें।
9. ऊपर उदृत की गई दर निविदा स्वीकृति से आगामी एक वर्ष तक के लिए विधि मान्य होगी।

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय टेलिफोन नं./मो.

नोटः– निविदा प्रपत्र **(Tender Document)** जमा कराने हेतु (दिनांक 21.06.2024 दोपहर 12.00 बजे तक) लेखाधिकारी (स्टोर) मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, जयपुर से सम्पर्क करें।